

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 12-02-2026

विषय सूची

बजट में विज्ञान-आधारित विकास हेतु बड़े आवंटन, किंतु मूलभूत वित्तपोषण में अंतराल यथावत

केन-बेतवा लिंक परियोजना के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन

परिवर्तित वित्तीय परिदृश्य में केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंध

भारत में जैव-सुरक्षा खतरा

भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लोकतंत्रीकरण

संक्षिप्त समाचार

महाद्वीपीय मैटल भूकंप

गृह मंत्रालय द्वारा वंदे मातरम् पर दिशा-निर्देश

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर अमेरिकी बयान से संवेदनशील बिंदु प्रतिस्थापित

ड्राफ्ट डिफेन्स एक्विजिशन प्रोसीजर (DAP)- 2026

उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS)

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI)

भारत की प्रथम संगीतमय सड़क

बजट में विज्ञान-आधारित विकास हेतु बड़े आवंटन, किंतु मूलभूत वित्तपोषण में अंतराल यथावत

संदर्भ

- संघीय बजट 2026-27 विज्ञान-आधारित विकास में सुदृढ़ महत्वाकांक्षा प्रदर्शित करता है, किंतु विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इसकी सफलता प्रभावी क्रियान्वयन, समय पर वित्तपोषण, संस्थागत स्वायत्तता और पारदर्शी नवाचार वित्तपोषण पर निर्भर करेगी।


परिचय

- 2023-24 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग का आवंटन ₹2,683.86 करोड़ से घटाकर ₹1,607.32 करोड़ किया गया, और वास्तविक व्यय भी कम होकर ₹1,467.34 करोड़ पर आ गया।
- इसी प्रकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का आवंटन ₹7,931.05 करोड़ से घटाकर ₹4,891.78 करोड़ किया गया और वास्तविक व्यय ₹4,002.67 करोड़ रहा।
- विज्ञान में मिशन-आधारित प्रोत्साहन:** बजट सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, CCUS, महत्वपूर्ण खनिज, और जैव-निर्माण केंद्र जैसे प्रमुख मिशनों को समर्थन देता है, किंतु नीति घोषणाओं से परे दीर्घकालिक, स्थिर वित्तपोषण को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।

भारत में अनुसंधान एवं विकास (R&D) व्यय

- भारत का सकल अनुसंधान एवं विकास व्यय (GERD) GDP का केवल 0.6% से 0.7% के बीच रहा, जो वैश्विक औसत से कम है और चीन, दक्षिण कोरिया तथा अमेरिका जैसे देशों से भी नीचे है।
- इसका एक कारण निजी क्षेत्र का अपेक्षाकृत कम निवेश है, जो केवल लगभग 36% है, जबकि उपर्युक्त देशों में निजी क्षेत्र का योगदान 70% से अधिक है।
- केंद्रीय सरकार कुल R&D व्यय का 43.7% योगदान करती है।

Sector-wise Share in India's National R&D Expenditure (2020-21)



Source - Department of Science & Technology

R&D में वित्तपोषण की आवश्यकता

- आर्थिक विकास:** नए उद्योगों को बढ़ावा देता है, उत्पादकता सुधारता है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है।
- प्रौद्योगिकीय प्रगति:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव-प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में प्रगति को संभव बनाता है।
- सामाजिक चुनौतियाँ:** गरीबी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता जैसी समस्याओं का समाधान करने में सहायक।
- रोज़गार सृजन:** नवाचार से रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलता है।
- वैश्विक स्थिति:** भारत को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और ज्ञान में वैश्विक नेतृत्व प्रदान करता है।
- निवेश आकर्षण:** अनुसंधान-आधारित क्षेत्रों में विदेशी और घरेलू निवेश को बढ़ावा देता है।

अपर्याप्त वित्तपोषण के प्रभाव

- निवेश संबंधी चिंताएँ:** सार्वजनिक संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास में सीमित निवेश।
- अवसंरचना अंतराल:** अनेक संस्थानों में अपर्याप्त अनुसंधान सुविधाएँ और संसाधन।
- ब्रेन ड्रेन:** बेहतर अवसरों के कारण प्रतिभा का अन्य देशों की ओर पलायन।

- **उद्योग सहयोग की कमी:** अकादमिक जगत और उद्योग के बीच व्यावहारिक नवाचार हेतु सीमित साझेदारी।
- **कौशल अंतराल:** कुशल शोधकर्ताओं और नवप्रवर्तकों के प्रशिक्षण एवं विकास की कमी।

सरकारी पहल

- **अनुसंधान, विकास एवं नवाचार (RDI) योजना:** ₹1 लाख करोड़ के कोष के साथ स्वीकृत यह योजना निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा डीप-टेक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखती है।
 - यह दीर्घकालिक, कम या शून्य ब्याज दर पर ऋण, इक्विटी निवेश उपलब्ध कराती है तथा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) के माध्यम से एक नए डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स को वित्तपोषित करती है।
- **अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF):** वर्ष 2023 में स्थापित ANRF विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता हेतु उच्च-स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करता है।
 - फाउंडेशन का लक्ष्य 2023-28 के दौरान ANRF फंड, इनोवेशन फंड, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च फंड तथा विशेष प्रयोजन कोष सहित विभिन्न माध्यमों से ₹50,000 करोड़ की राशि जुटाना है।
- **राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति, 2022:** इसका उद्देश्य वर्ष 2035 तक भारत को भू-स्थानिक क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की स्थिति में स्थापित करना है।
 - यह नीति भू-स्थानिक आंकड़ों तक पहुंच को उदार बनाती है तथा शासन, व्यवसाय और अनुसंधान में उनके उपयोग को प्रोत्साहित करती है।
- **भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023:** यह वर्ष 2020 में आरंभ किए गए अंतरिक्ष सुधारों पर आधारित है, जिनके अंतर्गत इस क्षेत्र को गैर-सरकारी संस्थाओं के लिए समग्र सहभागिता हेतु खोला गया।
 - इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षमताओं को सुदृढ़ करना, एक सशक्त वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्योग को प्रोत्साहित करना तथा सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।
- **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन:** वर्ष 2023-31 के लिए ₹6,003.65 करोड़ आवंटित किए गए हैं, ताकि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से क्वांटम प्रौद्योगिकियों को उन्नत किया जा सके।
- **बायोई3 नीति, 2024:** यह बायोमैनुफैक्चरिंग एवं बायो-एआई हब्स के सृजन तथा राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क की स्थापना को प्रोत्साहित करती है, जिससे प्रौद्योगिकी विकास और वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया को गति मिल सके।
- **राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM):** वर्ष 2015 में आरंभ किया गया यह पहल विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों तथा सरकारी एजेंसियों को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के माध्यम से परस्पर जुड़े अत्याधुनिक सुपरकंप्यूटिंग तंत्रों से सशक्त बनाती है।
- **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM):** वर्ष 2021 में स्थापित इस मिशन का उद्देश्य सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले निर्माण हेतु एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
 - भारत ने छह राज्यों में 10 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है, जिनमें ओडिशा में प्रथम वाणिज्यिक सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण सुविधा भी शामिल है।
- **इंडिया एआई मिशन:** इंडिया एआई मिशन “भारत में एआई का निर्माण तथा भारत के लिए एआई को प्रभावी बनाना” की परिकल्पना को मूर्त रूप देता है।
 - यह तीव्र गति से प्रगति कर रहा है तथा प्रारंभिक 10,000 जीपीयू के लक्ष्य से बढ़ाकर 38,000 जीपीयू तक कंप्यूटिंग क्षमता में वृद्धि कर चुका है, जिससे स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और उद्योगों हेतु सुलभ एआई अवसंरचना सुनिश्चित की जा सके।
- **अटल नवाचार मिशन (AIM):** छात्रों, स्टार्टअप्स और उद्यमियों को समर्थन प्रदान कर जमीनी स्तर पर नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित।
- **उच्च उपज बीजों पर राष्ट्रीय मिशन:** यह अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने तथा उच्च उपज, कीट-प्रतिरोधी और जलवायु-सहिष्णु बीजों के विकास पर केंद्रित होगा, जो कृषि जैव-प्रौद्योगिकी में डीबीटी के प्रयासों के अनुरूप है।

- **सीवीड मिशन तथा लर्न एंड अर्न कार्यक्रम:** ये पहल महिला उद्यमियों को सशक्त बनाते हुए आर्थिक समावेशन को प्रोत्साहित करती हैं।

आगे की राह

- R&D व्यय बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी को बढ़ाना आवश्यक है।
- उद्योग, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक संस्थानों के बीच बेहतर सामंजस्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अनुसंधान गतिविधि तथा उसे समर्थन देने वाले कोष दोनों का विस्तार हो सके।
- संघीय वित्त मंत्री ने कई नई पहलें भी घोषित की हैं, जिनमें परमाणु ऊर्जा मिशन, स्वच्छ प्रौद्योगिकी पहलें, अटल टिकरिंग लैब्स और शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर उत्कृष्टता केंद्र शामिल हैं।

स्रोत: TH

के नबेतवा लिंक परियोजना के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन

संदर्भ

- केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना (KBLP) के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन, जो नदी जोड़ो परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर उत्पन्न तनावों को उजागर करता है।

भारत में नदी जोड़ परियोजना

- **ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:** नदियों को जोड़ने की अवधारणा 19वीं शताब्दी से है, जब सर आर्थर कॉटन ने गोदावरी और कृष्णा नदी घाटियों में सिंचाई बांधों की रूपरेखा तैयार की थी।
 - समय के साथ यह विचार विकसित हुआ, जिसमें एम. विश्वेश्वरैया, के.एल. राव और कैप्टन दिनशां जे. दस्तूर जैसे अभियंताओं का उल्लेखनीय योगदान रहा।
- इसे 1980 के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (National Perspective Plan) के अंतर्गत “नदी जोड़ो कार्यक्रम” (ILR Programme) के रूप में परिकल्पित किया गया, जिसका उद्देश्य अधिशेष बेसिन से घाटे वाले बेसिनों में जल का स्थानांतरण करना है ताकि क्षेत्रीय जल असंतुलन दूर हो, सिंचाई बढ़े, बाढ़ और सूखे का

निवारण हो, तथा अंतर्देशीय नौवहन एवं जलविद्युत को समर्थन मिले।

- राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1980) ने दो घटकों का प्रस्ताव रखा: हिमालयी घटक (14 लिंक) और प्रायद्वीपीय घटक (16 लिंक)।
- हाल की प्रगति में केन-बेतवा लिंक परियोजना (पहली ILR परियोजना जो क्रियान्वयन में है) शामिल है, जबकि परबती-कालीसिंध-चंबल जैसी अन्य परियोजनाएँ मूल्यांकनाधीन हैं।
- 2002 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय सरकार को नदी जोड़ परियोजना 12-15 वर्षों में पूर्ण करने का आदेश दिया।
 - इस आदेश के प्रत्युत्तर में भारत सरकार ने एक कार्यबल नियुक्त किया तथा वैज्ञानिकों, अभियंताओं, पारिस्थितिकीविदों और अन्य विशेषज्ञों को परियोजना-संबंधी कार्यों में सम्मिलित किया।

क्या आप जानते हैं?

- **हाशिम आयोग रिपोर्ट (2004-05):** इसमें यह रेखांकित किया गया कि किन नदियों और किन स्थानों पर जल अधिशेष को स्थानांतरित किया जा सकता है तथा किन नदियों में यह स्थानांतरण संभव होगा।
- **राष्ट्रीय जल नीति (2012):** इसमें जल को आर्थिक वस्तु माना गया ताकि इसके संरक्षण और दक्ष उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। यह नीति जल संसाधनों की योजना, विकास एवं उनके सर्वोत्तम उपयोग को नियंत्रित करने हेतु बनाई गई थी।


नदी जोड़ परियोजना के उद्देश्य

- **सिंचाई विस्तार:** जल-अभाव वाले क्षेत्रों में लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की संभावना।
- **पेयजल आपूर्ति:** ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के लिए पेयजल की उपलब्धता में वृद्धि।
- **बाढ़ नियंत्रण:** बाढ़-प्रवण बेसिनों से अतिरिक्त मानसूनी प्रवाह को मोड़ना।
- **सूखा निवारण:** शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में कृषि को स्थिर करना।
- **जलविद्युत उत्पादन:** ऊँचाई के अंतर का उपयोग कर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन।

- अंतर्देशीय नौवहन एवं मत्स्य पालन: द्वितीयक आर्थिक लाभ।

प्रमुख परियोजना: केन-बेतवा लिंक

- केन-बेतवा लिंक परियोजना (KBLP) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत कैबिनेट अनुमोदन प्राप्त करने वाली प्रथम ILR परियोजना है। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सूखा-प्रवण बुंदेलखंड क्षेत्र को लाभ पहुंचाना है।
- यह परियोजना 10.62 लाख हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई, 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति और 130 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखती है।
- अन्य प्राथमिकता परियोजनाओं में संशोधित परबती-कालीसिंध-चंबल (PKC) लिंक और गोदावरी-कावेरी लिंक शामिल हैं।



चुनौतियाँ और चिंताएँ

- **पारिस्थितिक असंतुलन:** नदियों को जोड़ने से उनके प्राकृतिक प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, जिससे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता प्रभावित होती है। नदी मार्गों में परिवर्तन विभिन्न प्रजातियों के आवासों की हानि का कारण बन सकता है।
- उदाहरणस्वरूप, केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना में पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर बाँध निर्माण शामिल है, जिससे डूब क्षेत्र और जैव विविधता हानि को लेकर चिंताएँ उठी हैं।

- **वित्तीय व्यवहार्यता:** परियोजनाओं के क्रियान्वयन और रखरखाव से जुड़ी लागत अत्यधिक होती है।

- केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना की अनुमानित लागत लगभग ₹45,000 करोड़ है, जिस पर विशेषज्ञों ने आपत्ति व्यक्त की है और यह जलविद्युत परियोजनाओं के लिए निर्धारित कठोर कानूनी प्रावधानों को दरकिनार करती है।

- **अंतर-राज्यीय विवाद:** राज्यों को अपने-अपने क्षेत्रों में जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरें, जल निकासी, तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति के उपयोग का अधिकार है।

- भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) में जल को सम्मिलित किया गया है।

- हालाँकि, केंद्र सरकार को सातवीं अनुसूची की सूची-I (संघ सूची) के अंतर्गत अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों को विनियमित और विकसित करने का अधिकार है।

- **समुदायों का विस्थापन:** बड़े पैमाने की परियोजनाएँ प्रायः स्थानीय समुदायों के विस्थापन की मांग करती हैं, जिससे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।

- पुनर्वास प्रक्रिया जटिल हो सकती है और हमेशा न्यायसंगत या पर्याप्त नहीं होती।

- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** नदी प्रणालियों में परिवर्तन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को और बढ़ा सकता है, जैसे बाढ़ और सूखे की आवृत्ति एवं तीव्रता में वृद्धि।

- यह पहले से ही संवेदनशील क्षेत्रों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है।

- **वन-विनाश और आवास हानि:** नहरों और जलाशयों के निर्माण हेतु बड़े पैमाने पर वनों की कटाई आवश्यक होती है, जिससे वन्यजीवों के आवास नष्ट होते हैं।

- यह मृदा अपरदन और भूमि क्षरण में भी योगदान कर सकता है।

- **जल गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ:** विभिन्न नदियों के जल के मिश्रण से जल गुणवत्ता में परिवर्तन हो सकता है, जिससे मानव और पशु दोनों प्रभावित होते हैं।

- एक नदी के प्रदूषक दूसरी नदी को दूषित कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम उत्पन्न होते हैं।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

- भारत में नदी जोड़ परियोजना विश्व की सबसे महत्वाकांक्षी जल इंजीनियरिंग दृष्टियों में से एक है, जो स्वतंत्रता-उपरांत विकासात्मक आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। किंतु यह पारिस्थितिकी, जलवायु अनिश्चितता, वित्तीय व्यवहार्यता और संघीय शासन से संबंधित आधुनिक चुनौतियों का सामना करती है।
- आगे की राह संभवतः सुदृढ़ पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों, पारदर्शी जल-वैज्ञानिक आँकड़ों, सहकारी संघवाद, विकेंद्रीकृत जल रणनीतियों के एकीकरण और दीर्घकालिक जलवायु मॉडलिंग पर निर्भर करेगी।

स्रोत: TH

परिवर्तित वित्तीय परिदृश्य में केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंध

संदर्भ

- वित्त मंत्री ने कहा है कि संघीय सरकार ने विभाज्य कर-कोष का 41% राज्यों को हस्तांतरित किया है और किसी भी राज्य का हिस्सा कम नहीं किया गया है।

कर अपवितरण (Tax Devolution) क्या है?

- कर अपवितरण का अर्थ है कर राजस्व का वितरण केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच।
- वित्त आयोग यह तय करता है कि केंद्र के शुद्ध कर राजस्व का कितना हिस्सा राज्यों को दिया जाएगा (ऊर्ध्वाधर अपवितरण) और यह हिस्सा विभिन्न राज्यों में किस प्रकार बाँटा जाएगा (क्षैतिज अपवितरण)।
- 15वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि विभाज्य कर-कोष का 41% राज्यों को दिया जाए।
- राज्यों के बीच क्षैतिज अपवितरण सामान्यतः आयोग द्वारा तैयार किए गए सूत्र पर आधारित होता है, जिसमें राज्य की जनसंख्या, प्रजनन स्तर, आय स्तर, भौगोलिक स्थिति आदि को ध्यान में रखा जाता है।
- केंद्र सरकार राज्यों को अतिरिक्त अनुदान भी देती है, विशेषकर उन योजनाओं के लिए जो केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित होती हैं।

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 202 से 206 राज्यों के वित्तीय प्रशासन से संबंधित हैं, जिनमें उनके बजट, व्यय, उधारी और कराधान शक्तियों का उल्लेख है।
- अनुच्छेद 268 से 272 संघ और राज्यों के बीच राजस्व वितरण का विवरण देते हैं।
- अनुच्छेद 280 प्रत्येक पाँच वर्ष में (या राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अवधि में) वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है।
 - केंद्र सरकार वित्त आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है।
- अनुच्छेद 282 संघ सरकार को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति देता है।

केंद्र और राज्यों के बीच तनाव

- केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बँटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है।
- केंद्र आयकर, कॉर्पोरेट कर और वस्तु एवं सेवा कर (GST) जैसे प्रमुख करों की वसूली करता है, जबकि राज्य मुख्यतः शराब और ईंधन जैसे वस्तुओं की बिक्री से कर प्राप्त करते हैं, जो GST के दायरे से बाहर हैं।
- इससे राज्यों की शिकायत है कि केंद्र ने उनकी कर वसूली की शक्ति को कम कर दिया है और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के अनुरूप पर्याप्त धनराशि नहीं दी जाती।

राज्यों की प्रमुख माँगें

- **अधिक धनराशि की माँग:** राज्यों का तर्क है कि उन्हें वित्त आयोग की अनुशंसा से अधिक धन मिलना चाहिए क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पुलिसिंग जैसी जिम्मेदारियाँ अधिकतर राज्यों पर हैं।
- **विभाज्य कोष संबंधी चिंताएँ:** उपकर और अधिभार, जिन्हें राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता, केंद्र के कर राजस्व का लगभग 28% तक हो सकते हैं, जिससे साझा किए जाने योग्य राजस्व आधार का आकार घट जाता है।
- **वित्त आयोग की आलोचना:** आलोचकों का मानना है कि वित्त आयोग पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकता क्योंकि इसके सदस्यों की नियुक्ति में केंद्र की भूमिका होती है, जिससे राजनीतिक प्रभाव की संभावना रहती है।

आगे की राह

- 16वें वित्त आयोग को साझा और गैर-साझा राजस्व के बीच संतुलन का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए ताकि संरचनात्मक राजकोषीय असंतुलन दूर हो सके।
- उपकर एवं अधिभार में अधिक पारदर्शिता और तार्किकता विश्वास को सुदृढ़ कर सकती है और प्रभावी विभाज्य कोष का विस्तार कर सकती है।
- अंतर-राज्य परिषद और GST परिषद जैसी संस्थाओं के माध्यम से संवाद को गहरा करना चाहिए ताकि सहकारी राजकोषीय संघवाद एवं समन्वित वित्तीय योजना को बढ़ावा मिल सके।

स्रोत: [TH](#)

भारत में जैव-सुरक्षा खतरा

संदर्भ

- 2025 में गुजरात एटीएस ने कथित राइसिन-आधारित जैव-आतंकी षड्यंत्र का प्रकटीकरण किया, जो भारत का प्रथम संदिग्ध राइसिन-संबंधित जैव-आतंकी मामला माना जा रहा है, जिसमें संभावित अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी हो सकते हैं।

जैविक हथियार क्या हैं?

- जैविक हथियार रोगजनकों (बैक्टीरिया, वायरस, कवक) या विषाक्त पदार्थों (जैसे राइसिन, बोटुलिनिम टॉक्सिन) का उपयोग करते हैं ताकि मनुष्यों, पशुओं या फसलों में रोग या मृत्यु उत्पन्न की जा सके।
 - इन्हें व्यापक विनाश के हथियार (WMDs) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इनमें बड़े पैमाने पर हानि पहुँचाने की क्षमता होती है।
- जैविक एजेंट गैर-राज्यीय तत्वों के लिए आकर्षक होते हैं क्योंकि इनका उत्पादन अपेक्षाकृत कम लागत पर संभव है और इनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव अत्यधिक होता है।

भारत के लिए जैव-सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है?

- भारत की विशाल जनसंख्या और उच्च जनसंख्या घनत्व किसी भी जैविक घटना के प्रभाव को बढ़ा देता है।
- कृषि और पशुधन पर भारी निर्भरता देश को कृषि-आतंकवाद और सीमापार पशु रोगों के प्रति संवेदनशील बनाती है।

- जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान में तीव्र वृद्धि नागरिक और सैन्य दोनों उपयोगों वाले अनुसंधान को नियंत्रित करने की चुनौती को बढ़ाती है।
- कम लागत और उच्च प्रभाव वाले जैविक एजेंटों में गैर-राज्यीय तत्वों की रुचि सुरक्षा जोखिमों को और जटिल बनाती है।

भारत की मौजूदा जैव-सुरक्षा संरचना

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग अनुसंधान शासन और प्रयोगशालाओं के लिए सुरक्षा ढाँचे की देखरेख करता है।
- भारत का पादप संगरोध संगठन कृषि आयात और निर्यात को नियंत्रित करता है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जैविक आपदाओं के प्रबंधन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- प्रमुख कानूनी साधन:
 - पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 – खतरनाक सूक्ष्मजीवों और आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों को नियंत्रित करता है।
 - व्यापक विनाश के हथियार और उनके वितरण प्रणालियाँ (अवैध गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 – जैविक हथियारों को अपराध घोषित करता है।
 - जैव-सुरक्षा नियम, 1989 और 2017 में जारी दिशा-निर्देश – पुनः संयोजित डीएनए अनुसंधान और जैव-संरक्षण के लिए।

अंतर्राष्ट्रीय उपाय

- **जैविक हथियार सम्मेलन (BWC):** यह जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।
 - यह 1975 में लागू हुआ और व्यापक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रथम बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि थी।
- **रासायनिक हथियार सम्मेलन (CWC):** यह एक बहुपक्षीय संधि है जो रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाती है और निर्दिष्ट समयावधि में उनके विनाश की मांग करती है।
 - इसे रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन (OPCW) द्वारा लागू किया जाता है।

- **ऑस्ट्रेलिया समूह:** यह देशों का एक अनौपचारिक मंच है जो रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार को रोकने का प्रयास करता है।
 - यह द्वि-उपयोगी सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियों पर निर्यात नियंत्रण को सामंजस्यपूर्ण बनाकर ऐसा करता है।

वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** अपनी जैव-सुरक्षा रूपरेखा को राष्ट्रीय जैव-रक्षा रणनीति (2022–2028) के अंतर्गत संचालित करता है, जो स्वास्थ्य, रक्षा और जैव-प्रौद्योगिकी पर्यवेक्षण को एकीकृत करती है।
- **चीन:** जैव-सुरक्षा कानून (2021) जैव-प्रौद्योगिकी एवं आनुवंशिक डेटा को राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय मानता है और अनुसंधान तथा सामग्री हस्तांतरण पर केंद्रीकृत नियंत्रण अनिवार्य करता है।
- **यूनाइटेड किंगडम:** जैविक सुरक्षा रणनीति (2023) जैव-निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया पर केंद्रित है।

आगे की राह

- भारत को एक व्यापक राष्ट्रीय जैव-सुरक्षा रूपरेखा स्थापित करनी चाहिए जिसमें स्पष्ट नेतृत्व और समन्वय तंत्र हो।
- कानूनी और नियामक प्रणालियों को अद्यतन करना आवश्यक है ताकि द्वि-उपयोगी अनुसंधान और कृत्रिम जीवविज्ञान को नियंत्रित किया जा सके।
- जीनोमिक निगरानी, सूक्ष्मजीव फॉरेंसिक और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में निवेश को बढ़ाना चाहिए।

राइसिन के बारे में

- राइसिन एक अत्यधिक विषैला कार्बोहाइड्रेट-बाइंडिंग प्रोटीन है जो अरंडी के बीज से निकाला जाता है।
- यह कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण को अवरुद्ध करता है, जिससे बहु-अंग विफलता और कुछ ही घंटों में मृत्यु हो सकती है। कुछ मिलीग्राम भी घातक हो सकते हैं।
- यह रासायनिक हथियार सम्मेलन (CWC) की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध है और रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन (OPCW) द्वारा पर्यवेक्षित है।
- राइसिन विषाक्तता के लिए कोई ज्ञात प्रतिरोधक उपलब्ध नहीं है।

स्रोत: [IE](#)

भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लोकतंत्रीकरण

समाचार में

- हाल ही में यह रेखांकित किया गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का लोकतंत्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटिंग संसाधनों, डेटा और एआई मॉडलों तक न्यायसंगत पहुँच आवश्यक है, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था में नवाचार एवं प्रतिस्पर्धा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

एआई का लोकतंत्रीकरण क्या है?

- एआई का लोकतंत्रीकरण का अर्थ है कृत्रिम बुद्धिमत्ता को व्यापक और विविध उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ, किफायती एवं उपयोगी बनाना। यह केवल तैयार अनुप्रयोगों तक पहुँच से आगे जाता है।
- इसमें एआई के मूलभूत निर्माण खंडों जैसे कंप्यूटिंग शक्ति, डेटासेट और मॉडल पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुँच शामिल है।
- जैसे-जैसे ये संसाधन बड़े पैमाने पर उपलब्ध होते हैं, व्यक्ति और संस्थाएँ एआई के माध्यम से अपनी उपलब्धियों का विस्तार कर रहे हैं।

एआई के लोकतंत्रीकरण का महत्व

- **समान पहुँच:** भारत समावेशी विकास और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एआई का लोकतंत्रीकरण कर रहा है, जिसमें 60 लाख से अधिक लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं।
 - एआई उपकरणों को स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और वित्त जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध कराना सामाजिक-आर्थिक विभाजन को कम करता है।
- **जनकल्याण:** एआई शासन को बेहतर बना सकता है, सेवा वितरण को सुधार सकता है और पारदर्शी एवं कुशल प्रणालियों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त कर सकता है।
 - व्यावहारिक एआई अनुप्रयोग कृषि, स्वास्थ्य सेवा और आपदा तैयारी को सुदृढ़ कर रहे हैं, जबकि भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र 2,00,000 से अधिक स्टार्टअप्स से युक्त है, जिनमें लगभग 90% एआई का उपयोग करते हैं।

- **राष्ट्रीय विकास:** अनुप्रयुक्त एआई डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी और कृषि सुधार जैसी पहलों को समर्थन देकर भारत के विकास को गति दे सकता है।
- **वैश्विक स्थिति:** लोकतांत्रिक एआई भारत की भूमिका को नैतिक और समावेशी प्रौद्योगिकी के वैश्विक मानकों को आकार देने में सुदृढ़ करता है।

चुनौतियाँ

- **डेटा गोपनीयता और सुरक्षा:** नागरिक डेटा की सुरक्षा करते हुए बड़े पैमाने पर एआई तैनाती सुनिश्चित करना एक गंभीर चिंता है।
- **पक्षपात और निष्पक्षता:** यदि एआई प्रणालियाँ समावेशिता और चुनौतीपूर्णता को ध्यान में रखकर डिज़ाइन नहीं की जातीं, तो वे सामाजिक पक्षपात को बनाए रख सकती हैं।
- **अवसंरचना अंतराल:** उच्च गुणवत्ता वाले डेटासेट, कंप्यूटिंग शक्ति और ग्रामीण व वंचित क्षेत्रों में कुशल कार्यबल तक सीमित पहुँच।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के अग्रणी एआई मॉडलों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए नवाचार और प्रणालीगत जोखिम प्रबंधन का संतुलन।

नियामक एवं नीतिगत ढाँचा

- **सरकारी क्लाउड और डिजिटल अवसंरचना:** डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत GI क्लाउड (मेघराज) स्थापित किया गया, जो भारत सरकार की क्लाउड आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह सुरक्षित, स्केलेबल एवं लचीली क्लाउड सेवाएँ प्रदान करता है।
- **डेटा शासन और कानूनी प्रावधान:** भारत का डेटा शासन ढाँचा नवाचार को बढ़ावा देता है और गोपनीयता की रक्षा करता है। सरकारी ओपन डेटा लाइसेंस (2017) गैर-संवेदनशील सार्वजनिक डेटा के पुनः उपयोग की अनुमति देता है, जबकि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (2023) व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और अनुपालन सुनिश्चित करता है।
- **उत्कृष्टता केंद्र (CoEs):** स्वास्थ्य, कृषि, सतत शहर और शिक्षा में अनुसंधान-आधारित नवाचार को बढ़ावा देते हैं।
- **एआई तत्परता हेतु कौशल विकास (SOAR):** छात्रों (कक्षा 6–12) और शिक्षकों को एआई के मूलभूत सिद्धांतों एवं नैतिकता में प्रशिक्षित करता है।

- **व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण:** आईटीआई और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से एआई एवं रोबोटिक्स सहित 31 नई पाठ्यक्रम उपलब्ध।
- **युवा सहभागिता (YUVAi):** छात्रों (कक्षा 8–12) को एआई और सामाजिक कौशल में प्रशिक्षित करता है।
- **सरकारी अधिकारियों के लिए एआई दक्षता:** नीति निर्माण और शासन में एआई लागू करने हेतु संरचित प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- **उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान (IndiaAI Mission):** 500 पीएचडी, 5,000 स्नातकोत्तर और 8,000 स्नातक छात्रों को समर्थन देता है, साथ ही टियर-2 एवं टियर-3 शहरों में एआई प्रयोगशालाएँ स्थापित करता है।
- **इंडियाएआई मिशन:** उच्च गुणवत्ता वाले डेटासेट, पुनः उपयोग योग्य मॉडल (AIKosh) और भारतीय डेटा व भाषाओं पर प्रशिक्षित स्वदेशी बहु-मॉडल एआई मॉडल तक पहुँच का विस्तार करता है।

एआई संसाधनों के लोकतंत्रीकरण हेतु वैश्विक सहयोग

- **भारत-एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026:** वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है ताकि एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण हो सके, विशेषकर ग्लोबल साउथ देशों के लिए डेटा, कंप्यूट और अवसंरचना तक न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित की जा सके।
- **डेमोक्रेटाइजिंग AI रिसोर्सेज वर्किंग ग्रुप:** भारत, मिस्र और केन्या की सह-अध्यक्षता में यह समूह एआई संसाधनों को सुलभ और किफायती बनाने, वितरित अवसंरचना एवं खुले नवाचार को बढ़ावा देने तथा क्षमता निर्माण तथा ज्ञान विनिमय का समर्थन करने का लक्ष्य रखता है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

- भारत का एआई लोकतंत्रीकरण दृष्टिकोण दर्शाता है कि पैमाना, समावेशन और नवाचार साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं।
- किफायत, खुलापन और विश्वास पर ध्यान केंद्रित करने से एआई के लाभ किसानों, छात्रों, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स एवं सार्वजनिक संस्थानों तक पहुँचते हैं।
- भारत-एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी करते हुए भारत इस अनुभव को वैश्विक संदर्भ में प्रस्तुत

करता है, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं से आकार लिया हुआ एक मॉडल प्रदान करता है।

- आगे की राह स्पष्ट है—एआई का लोकतंत्रीकरण एक बार का प्रयास नहीं बल्कि सतत प्रतिबद्धता है, ताकि तकनीकी प्रगति समाजों को सशक्त बनाए, असमानताओं को कम करे और सभी के लिए सतत विकास का समर्थन करे।

स्रोत : [PIB](#)

संक्षिप्त समाचार

महाद्वीपीय मैटल भूकंप

समाचार में

- स्टैनफोर्ड के शोधकर्ताओं ने एक दुर्लभ प्रकार के भूकंप का प्रथम वैश्विक मानचित्र तैयार किया है, जो पृथ्वी की भू-पर्पटी (crust) में नहीं बल्कि गहराई में मैटल में उत्पन्न होता है।

महाद्वीपीय मैटल भूकंप

- **स्थान:** ये विश्वभर में होते हैं, किंतु क्षेत्रीय रूप से समूहित पाए जाते हैं, विशेषकर दक्षिण एशिया में हिमालय के नीचे और एशिया तथा उत्तरी अमेरिका के बीच बेरिंग जलडमरूमध्य के नीचे।
- **गहराई:** अधिकांश भूकंप पृथ्वी की पर्पटी में 10–29 किमी की गहराई पर होते हैं, लेकिन मैटल भूकंप इससे कहीं गहरे—80 किमी से अधिक गहराई पर, भू-पर्पटी-मैटल सीमा (मोहोरोविचिक असंततता/ Moho) के नीचे होते हैं।

नवीनतम अध्ययन

- शोधकर्ताओं ने Sn तरंगों (मैटल) और Lg तरंगों (भू-पर्पटी) के अंतर का उपयोग कर भूकंपीय आँकड़ों से मैटल भूकंपों की विश्वसनीय पहचान की।
- 1990 से अब तक दर्ज 46,000 भूकंपों में से 459 को मैटल भूकंप के रूप में पुष्टि की गई; वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है।

महत्व

- यह अध्ययन भूकंप की उत्पत्ति और पृथ्वी की सतह के नीचे उसके कार्य-प्रणाली पर नए दृष्टिकोण प्रदान करेगा।

- इन भूकंपों का अध्ययन भूकंप यांत्रिकी और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में सहायक है।
- शोधकर्ता यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या ये भूकंप पर्पटी भूकंपों से उत्पन्न तनाव के कारण होते हैं या मैटल की ऊष्मा-प्रेरित प्रक्रियाओं से, जिससे पर्पटी और मैटल की परस्पर क्रिया को बेहतर समझा जा सके।

स्रोत: DTE

गृह मंत्रालय द्वारा वंदे मातरम् पर दिशा-निर्देश

संदर्भ

- गृह मंत्रालय (MHA) ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि जब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् और राष्ट्रीय गान दोनों आधिकारिक कार्यक्रमों में प्रस्तुत किए जाएँ, तो वंदे मातरम् पहले गाया/बजाया जाए।

प्रमुख दिशा-निर्देश

- **गाने या बजाने के अवसर:**
 - राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान पर औपचारिक राज्य समारोहों में।
 - राष्ट्रपति के राष्ट्र को संबोधन से पूर्व और पश्चात में।
 - राज्य समारोहों में राज्यपाल/उप-राज्यपाल के आगमन और प्रस्थान पर।
 - जब राष्ट्रीय ध्वज परेड में लाया जाता है।
 - अन्य अवसर जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाएँ।
- **प्रोटोकॉल:**
 - आधिकारिक संस्करण लगभग 3 मिनट 10 सेकंड का होगा।
 - वंदे मातरम् के सभी छह पद, जिनमें वे चार पद भी शामिल हैं जिन्हें 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति ने अलग रखा था, बजाए जाएँगे।

संवैधानिक एवं कानूनी ढाँचा

- **राष्ट्रीय प्रतीकों की स्थिति:** 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम् के पूर्व दो पदों को भारत का राष्ट्रीय गीत अपनाया गया।

- संविधान में “राष्ट्रीय गीत” की स्पष्ट परिभाषा नहीं है, इसका मान्यता स्रोत संविधान सभा की चर्चाएँ और कार्यपालिका की परंपरा है।
- **अनुच्छेद 51A(a) मौलिक कर्तव्य:** प्रत्येक नागरिक को संविधान का पालन करने और उसके आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करने का निर्देश देता है।
- वंदे मातरम् को किसी संवैधानिक प्रावधान द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं किया गया है।

वंदे मातरम्

- वंदे मातरम् का रचनाकर्म बंकिमचंद्र चटर्जी ने संस्कृत में किया और यह प्रथम बार 1882 में उपन्यास आनंदमठ में प्रकाशित हुआ।
- आनंदमठ 1769–73 के बंगाल अकाल और संन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है।
- 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रथम बार गाया गया, जिससे इसे राष्ट्रीय पहचान मिली।
- 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम् नागरिक प्रतिरोध का गान बनकर उभरा।
- राजनीतिक नारे के रूप में वंदे मातरम् का प्रथम उपयोग 7 अगस्त 1905 को हुआ।

स्रोत: TH

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर अमेरिकी बयान से संवेदनशील बिंदु प्रतिस्थापित

संदर्भ

- अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार समझौते पर जारी तथ्यों की सूची को संशोधित किया है।

परिचय

- **अमेरिकी उत्पादों की खरीद:** पहले संस्करण में कहा गया था कि भारत ने अधिक अमेरिकी उत्पाद खरीदने और “500 अरब डॉलर से अधिक अमेरिकी ऊर्जा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कोयला और अन्य उत्पाद” खरीदने का वचन दिया है। संशोधित संस्करण में “प्रतिबद्ध(committed)” शब्द को “प्रयोजन(intends)” से बदल दिया गया।

- **दलहन:** तथ्यों की सूची के एक हिस्से में कुछ दलहनों को उन कृषि उत्पादों में शामिल किया गया था जिन पर भारत ने शुल्क कम करने का वचन दिया था। संयुक्त बयान में दलहन का उल्लेख नहीं था और संशोधित सूची से इसे हटा दिया गया।
- **डिजिटल सेवाएँ:** पहले कहा गया था कि भारत अपनी डिजिटल सेवा कर हटाएगा और द्विपक्षीय डिजिटल व्यापार नियमों पर बातचीत करेगा। संशोधित सूची से यह हिस्सा पूरी तरह हटा दिया गया।

तथ्यों की सूची संशोधित करने के कारण

- **अमेरिकी उत्पादों की खरीद पर स्पष्टता:** 500 अरब डॉलर की राशि ने किसानों में कृषि आयात की अचानक वृद्धि को लेकर चिंता उत्पन्न की। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह आँकड़ा कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है क्योंकि आदेश निजी कंपनियों द्वारा दिए जाते हैं, न कि सरकारों द्वारा।
- **दलहन का हटाया जाना:** यह उस समय हुआ जब भारत सरकार इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है।
- **भारत के लिए कृषि क्षेत्र में बाजार पहुँच लंबे समय से व्यापार समझौता वार्ताओं में संवेदनशील मुद्दा रहा है।** किसान परंपरागत रूप से कृषि को बहुपक्षीय और द्विपक्षीय समझौतों से बाहर रखने की माँग करते रहे हैं, पश्चिमी देशों में दी जाने वाली भारी सब्सिडियों का उदाहरण देते हुए।

स्रोत: IE

ड्राफ्ट डिफेन्स एक्विज़िशन प्रोसीजर (DAP)-2026

संदर्भ

- रक्षा विभाग ने ‘डिफेन्स एक्विज़िशन प्रोसीजर (DAP)-2026’ का प्रारूप तैयार किया है।

विवरण

- प्रस्तावित प्रारूप का उद्देश्य भारत की रक्षा खरीद प्रणाली को तीव्रता से बदलते भू-रणनीतिक परिदृश्य के अनुरूप बनाना है।

- यहरक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' पहल का आधारस्तंभ है और डिफेन्स एक्विजिशन प्रोसीजर-2020 को प्रतिस्थापित करेगा।
- इसमें 'Buy (Indian-IDDM)' (स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित) श्रेणी को संस्थागत प्राथमिकता दी गई है, जिससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और आयात में प्रभावी कमी होगी।
- आयात केवल उन उपकरणों तक सीमित होंगे जो देश में उपलब्ध नहीं हैं और अत्यंत आवश्यक हैं।

महत्व

- स्वदेशी सामग्री (IC) और स्वदेशी डिजाइन (ID) के व्यावहारिक मूल्यांकन तथा भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के संरक्षण पर बल।
- MSMEs, स्टार्टअप्स और निजी उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय एवं अनुभव संबंधी मानदंडों में सहजता।
- शक्तियों के विकेंद्रीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता आश्वासन में सुधार और प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से तीव्र अधिग्रहण को बढ़ावा।

स्रोत: TH

उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS)

समाचार में

- संघीय बजट 2026-27 के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा की कि विदेश में शिक्षा और चिकित्सा व्ययों हेतु उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के अंतर्गत स्रोत पर एकत्र कर (TCS) को 5% से घटाकर 2% किया जाएगा।

उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS)

- यह योजना 2004 में शुरू की गई थी, जिसकी सीमा USD 25,000 थी।
- समय-समय पर सीमा को प्रचलित व्यापक और सूक्ष्म आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित किया गया।
- वर्तमान में निवासी व्यक्ति, जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, प्रति वित्तीय वर्ष \$2,50,000 तक स्वतंत्र रूप से प्रेषण कर सकते हैं, जो अनुमत चालू या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों का संयोजन हो सकता है।

- इन लेनदेन में शिक्षा, विदेश में चिकित्सा उपचार, संपत्ति की खरीद और विदेशी शेरों में निवेश शामिल हैं।

योजना के अंतर्गत निषिद्ध वस्तुएँ

- अनुसूची-I के अंतर्गत प्रतिबंधित गतिविधियों (जैसे लॉटरी टिकट या प्रतिबंधित पत्रिकाएँ) या FEMA की अनुसूची-II के अंतर्गत सीमित गतिविधियों के लिए प्रेषण निषिद्ध है।
- विदेशी विनिमय में ट्रेडिंग, भारतीय कंपनियों के FCCBs की विदेशी द्वितीयक बाजार में खरीद या विदेशी एक्सचेंजों पर मार्जिन कॉल हेतु प्रेषण की अनुमति नहीं है।
- FATF द्वारा निर्दिष्ट गैर-सहकारी देशों, RBI द्वारा आतंकवाद जोखिम के रूप में चिह्नित व्यक्तियों/संस्थाओं को प्रेषण और किसी अन्य निवासी के विदेशी खाते में विदेशी मुद्रा उपहार देना भी निषिद्ध है।

स्रोत: LM

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI)

संदर्भ

- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हाल ही में 2025 का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) प्रकाशित किया है।

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक

- यह सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के अनुमानित स्तर को विशेषज्ञों और व्यापारिक नेताओं के आकलन के आधार पर मापता है।
- अंक शून्य से 100 तक होते हैं, जहाँ शून्य अत्यधिक भ्रष्टाचार और 100 स्वच्छ सार्वजनिक क्षेत्र को दर्शाता है।

प्रमुख आँकड़े

- **पद्धति:** सूचकांक ने 182 देशों का मूल्यांकन किया, शून्य (अत्यधिक भ्रष्ट) से 100 (अत्यंत स्वच्छ) के पैमाने पर।
- **प्रवृत्ति:** वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, यहाँ तक कि उन्नत लोकतंत्रों में भी। 10 वर्ष पूर्व 80 से अधिक अंक पाने वाले देशों की संख्या 12 थी, जो अब घटकर केवल 5 रह गई है।

- वैश्विक औसत अंक गिरकर 42/100 हो गया है, जो विगत दस वर्षों में सबसे कम है।
- 122 देश (कुल का दो-तिहाई से अधिक) ने 50 से कम अंक प्राप्त किए।
- **श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देश:** डेनमार्क (89 अंक) लगातार आठवें वर्ष शीर्ष पर, इसके बाद फ़िनलैंड (88) और सिंगापुर (84)।
- **सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश:** दक्षिण सूडान और सोमालिया (दोनों 9 अंक) 181वें स्थान पर।
- **भारत का प्रदर्शन:** 2025 में भारत 91वें स्थान पर रहा, 39/100 अंक प्राप्त किए, जो विगत वर्ष से हल्का सुधार है।

स्रोत: IE

भारत की प्रथम संगीतमय सड़क

संदर्भ

- मुंबई की कोस्टल रोड ने भारत की प्रथम संगीतमय सड़क प्रस्तुत की है, जो अवसंरचना और प्रौद्योगिकी-

आधारित सार्वजनिक अनुभव को जोड़ने का अभिनव उदाहरण है।

परिचय

- नारिमन पॉइंट और वर्ली के बीच 500-मीटर का खंड, जिसे *संगीत मार्ग* नाम दिया गया है, पर वाहन 60–80 किमी/घंटा की गति से चलते समय ऑस्कर विजेता गीत “जय हो” बजता है।
- इस अवधारणा में विशेष रूप से निर्मित रंबल स्ट्रिप्स का उपयोग किया गया है, जिन्हें डामर पर सटीक अंतराल पर उकेरा गया है।
- जब वाहन इन खाँचों पर चलते हैं, तो टायर और सड़क सतह के बीच घर्षण से कंपन उत्पन्न होते हैं। ये कंपन ध्वनि तरंगें बनाते हैं, जो मिलकर धुन का पुनरुत्पादन करती हैं, जिसे वाहन के अंदर यात्री सुन सकते हैं।
- यह अवधारणा हंगरी की तकनीक पर आधारित है और पहले हंगरी, जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में लागू की जा चुकी है।

स्रोत: TH

